तारीख हुक्म	2016/00275 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामा देवी v/s लक्ष्मी देवी
24.12.20	प्रार्थना पत्र हुई। वकील पक्षकार उभय वकील पक्षकार द्वारा पर मनन किया, प्रस्तुत प्रा० पत्र अ० नि० दाताक्रान्त का अवलोकन किया, जमाबंदी सं० 2020-22 ग्राम मोपा की खाणी तह० बड़वा में वर्णित भूमि क्र० 1067 से 1070 क्षेत्र 4 बीघा 2 बिस्वा प्रार्थी के एवं अप्रार्थीगण ग्रामवासी खातेदारी भूमि विषयक तकरारा नहीं हुआ प्रकरण तकरारा विचाराधीन है प्रकरण निवारण होने तक ता० आदेश 26-9-16 कायम करने का प्रार्थी वकील ने निवेदन किया। प्रकरण में सुविधा संतुलन अप्रार्थीगण स्थिति विहित प्रार्थीगण पक्षकार होना सहित पाया जाता है। अतः प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 26-9-16 वाद तकरारा तक कायम कायम किया जाता है तथा उभयपक्ष को अपने स्थाई निषेधाज्ञा का कोई वाद विचारित [illegible] रखने [illegible] जोगत कुमार हाजरा वाद तकरारी [illegible] से कम हाजरा हम फिर वाद रहे निर्णय सुनाया गया

उप खण्ड अधिकारी
सीकर (सीमा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:49:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner